

कार्यालय - प्रभागीय विधायिका दल परिषद् २०१५ का प्रभागीय
पत्रांक ५३। ११२-१ दिनें ७. ८. २०१५

ज्ञाना देव,

वा. संसदीय
उत्तरी कुचालु शत
उत्तराखण्ड जनमणि

विषय - चौथी बैठक में वर्ष बचत की ओर आर्थिक प्रतीक्षा से
७२४५/२०१५

सन्दर्भ - आपकी पत्र अं. २४१७ | १२-१ दि. ५-६-२०१५

महोदय,

साधारण परिषद की छात्रों के उत्तराखण्ड विभाग
एवं शासन प्रशासन का नियोगात्मक कर्तव्य विप्रतिवाद है,
अप्रतीक्षा,

प्रभागीय विधायिका दल
प्रभागीय विधायिका दल
प्रभागीय विधायिका दल

A - 1.6.2

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee Constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act. (FRA), 2006.

A meeting of the District level committee of Pithoragarh District, Constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. H.C. Semwal, I.A.S., District Magistrate Pithoragarh on Date 29/11/2014 at Pithoragarh in which the application claiming right in mail area measuring 5.409 Hect. for the construction of Chaubati to Barambachkudi Motor Road of Forest Level Committee of Didihat Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the document and detail discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:- Pithoragarh

Dated:- 29/11/2014

W (H.C. Semwal)
(H.C. Semwal)
District Magistrate,
District Level Committee
District Pithoragarh

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में प्रस्तावित चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

जिला स्तरीय समिति- पिथौरागढ़

उपखण्ड डीडीहाट परिषेत्र के अन्तर्गत चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग, (2.754 हेतु वन भूमि 5.409 हेतु सिविल सोयम वन भूमि, शून्य हेतु वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 8.163 हेतु वन भूमि) का ग्राम्य विकास त्रिभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत दनवारा (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (तहसील-डीडीहाट) की दिनांक 29/11/14..... को सम्बन्ध बैठक की कार्यवाही का विवरण-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एच०सी० सेमवाल जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री एच०सी० सेमवाल, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
- 2- डा० इन्द्रपाल सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
- 3- श्री श्याम लाल आर्या, जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव
- 4- श्री सप्तराम चतुर्वाल सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र विटालगाँव सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 8.163 हेतु वन भूमि ग्राम्य विकास त्रिभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सांख्यिक ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से परित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्येक वर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन एवं प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। इतने प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सम्पत्ति

सदस्य जिला पंचायत

क्षेत्र :- विटालगाँव

सदस्य जिला पंचायत

विटालगाँव, डीडीहाट, पिथौरागढ़

सदस्य

श्रीमती जयन्ती देवी

ब्लॉक ग्रम्य

विंख० डीडीहाट

जिलाधिकारी
अधिकारी
जिला स्तरीय
वन अधिकारी
पिथौरागढ़

प्रभागीय वनाधिकारी

सदस्य

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला सम्बन्ध क्रांति अधिकारी
पिथौरागढ़

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत फेज-IX में प्रस्तावित, चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग (9.070 किमी) का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी डीडीहाट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- डीडीहाट

द्वितीय

उपखण्ड वर्सनग परिक्षेत्र के अन्तर्गत चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग, 2.754 हेठो वन भूमि, 3.492 हेठो सिविल सोयम (वन स्वरूप) वन भूमि, 1.917 सिविल सोयम (वन रहित), शून्य हेठो वन पंचायत भूमि शून्य हेठो आरक्षित वन अर्थात् कुल ७.०८३ हेठो वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील- डीडीहाट) की दिनांक २६.११.२०१५ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री आनुश्लो आपा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|---------------------------------|--|------------|
| 1- श्री <u>आनुश्लो आपा</u> | उपजिलाधिकारी <u>डीडीहाट</u> | अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>आनन्द लक्ष्मीराम</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी <u>डीडीहाट</u> | सदस्य |
| 3- श्री <u>आर० रम० रामानंत</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी <u>डीडीहाट</u> | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री <u>कृष्ण रामदेवी</u> | वी0डी0सी0 क्षेत्र <u>डीडीहाट</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग परियोजना हेतु ७.०८३ हेठो वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एंजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से परित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की सकती है।

द्वितीय
सदस्य

क्षेत्र पंचायत तिळाड़ी
वी0 स्थ० डीडीहाट (पिथौरागढ़)

उपजिलाधिकारी डीडीहाट
उप अधिकारी पिथौरागढ़
(तत्त्वरूप)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
वी0डी0सी0 क्षेत्र

सदस्य

रियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-IX में प्रस्तावित, चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग (9.070 किमी) का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- कर्लुक्त्वाङ्गी

तहसील-डीडीहाट

जिला-पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (2.754 हेतु नाप भूमि, 5.409 हेतु सिविल एवं सोयम वन भूमि) अर्थात् कुल 8.163 हेतु वन भूमि का ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग पी०आई०य०, पी०एम०जी०एस०वाई० डीडीहाट (पिथौरागढ़) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कर्लुक्त्वाङ्गी द्वारा दिनांक २६.१०.१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कर्लुक्त्वाङ्गी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को वनविभाग को हस्तान्तरित एवं चयनित भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने में ग्रामवासी कोई आपत्ति नहीं है।

मक डिस्पोजल हेतु चयनित भूमि पर मलबा डालने में ग्रामवासीयों को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त चयनित भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, शमशान घाट, कब्रिस्तान, चर्च आदि स्थित नहीं है, तथा इस भूमि को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक उपयोग में नहीं लायी गई है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०आई०य०, पी०एम०जी०एस०वाई० पी०आई०य०, पी०एम०जी०एस०वाई० पी०आई०य०, पी०एम०जी०एस०वाई०

डीडीहाट (पिथौरागढ़)

डीडीहाट (पिथौरागढ़)

डीडीहाट (पिथौरागढ़)

स्वीकृति

स्वीकृति

स्वीकृति

ग्राम पंचायत- बरम बवदूँ

विंख०- डीडीहाट (पिथौरागढ़)

ग्राम प्रधान

४०/-

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी

पिथौरागढ़

वन पंचायत सरपंच

A - 1. b. 6

83
94

रुपय

TEN
RUPEES

Rs. 10

राज्य निकाल का विवरण

निकाल का विवरण

अनापालि रुपयों पर

उद्धानभूमि का इकल घोषना के अन्तर्गत विशेषज्ञ चौकाड़ी-
बरमधारकुड़ी जोख मार्ग में हम उच्ची दृष्टि की नापश्चमि
पड़ती है, भारी के बाएँ हे जो भाग का निकालवा
उसे हमारी नापश्चमि में दर्शाते हैं हमें लिखती ही
कुलारु नी आपालि नहीं है, भेलवा दर्शाते हमें
झापनी नापश्चमि निश्चयक देने को तैयार हैं,

१) निकाल रुपयों - नापालि

२) रुपयों दृश्यपा : ८

३) रुपयों दृश्यपा

४) भागीरथो दृश्यपा

५) भागीरथो दृश्यपा

६) नीकी दृश्यपा

(७) नीकी

(८) दीप्तो दृश्यपा

९) दीप्तो

(१०) नापालि रुपयों

११) नापालि रुपयों

१२) नापालि रुपयों

१३) नापालि रुपयों

१४) नापालि रुपयों

१५) नापालि रुपयों

१६) नापालि रुपयों

१७) नापालि रुपयों

१८) नापालि रुपयों

१९) नापालि रुपयों

२०) नापालि रुपयों

२१) नापालि रुपयों

२२) नापालि रुपयों

२३) नापालि रुपयों

२४) नापालि रुपयों

२५) नापालि रुपयों

२६) नापालि रुपयों

२७) नापालि रुपयों

२८) नापालि रुपयों

२९) नापालि रुपयों

३०) नापालि रुपयों

३१) नापालि रुपयों

३२) नापालि रुपयों

३३) नापालि रुपयों

३४) नापालि रुपयों

३५) नापालि रुपयों

Asst Engineer
M.E.S. P.M.G.S.
Noida

H - 1 - 6 - 7
8 गोविन्दसिंह

- 9 नीरज सिंह
10 तारा देवी
11 यशोला देवी
12 उमा देवी

13 - शुभांग नवाज़ -

9 JUN 2014

14 - (निम्रलिङ्ग) -

15 - बबीता देवी -

16 - उच्छोरी अल

17 - कमला देवी

18 - रघुनंदन रामा

19 - लक्ष्मी रामदेव

20 - उमा देवी

21 - (निम्रलिङ्ग) -

22 - नीरा देवी

23 - शुभा नवाज़ -

24 - शुभा नवाज़ -

Asst. Engin.
LES. P.M.G.S.
Higher

A - 111 - 1

प्रारूप-29

(5.00 हेठे से अधिक के प्रकरणों में लागू)

Cost Benefit Ratio calculation Performa

परियोजना का नाम:-जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, चौबाटी-बरमवचकुड़ी मोटर मार्ग (9.070 किमी) तक का नव निर्माण हेतु बन भूमि हस्तान्तरित प्रस्ताव।

Block:-डीडीएस**District:-पिथौरागढ़**

SL. No.	Particulars	Amount in lakhs	Remark
1	Total cost (Investment incurred)		
(A)	Construction cost of the project	553.90	
(B)	N.P.V. Amount to be deposited @ --- lakh /Ha	37.8	
(D)	Substitute/Alternative Plantation Cost to be Deposited:-	60.71	
(E)	Other cost if any	14.1	
	Grand Total	666.51	
2	Benefits	Estimated Cost /yearly	Total benefit during the life of the created development
2.1	i. Direct Economic Benefits a. Market Development :-10 shops are established after construction of above road taking minimum benefit for pae shop per day Rs. 180.00 benefit for 10 shops per month $10 \times 30 \times 180 = 67500.00 \times 12 = 54000.00$ Benefit for 1 year $= 54000.00 \times 12 = 648000.00$ Benefit for 50 years $= 648000.00 \times 50 = 32400000.00$ b. Employment Generation Due to Transpotation c. Direct Employment in construction and maintenance d.(i) Agricutar Production & better marketing (ii) Hortical hub & Animal e. Increase in Income due to increase in animal husbandry and horticulture f. Decreasing the cost of Electrical held Pipe line, Telephon line & other Communication works Total direct benefits	324.00	
2.2	ii. Social Benefits a.Higher the Educaoin Level b.Higher the Average due to better Healthfacility (Assesing increase age of 5 Year) Total social benefits	35.00 86.00 121.00	
2.3	iii. Ecological Benefits a. Increase in Polution after cost of Road b. Increase in water level due. c. Water conservation Total ecological benefits	90.00 50.00 30.00 170.00	
2.4	Other Benefits(if any) a. Abolition of Castism b. Abolition of poverty Total benefits	10.00 10.00 20.00	
	Grand Total Benefits	1200.00	

J.E.

A handwritten signature of "J.E." is placed over a circular stamp. The stamp contains the text "R.D. APPROVAL" at the top, "A.E." in the center, and "D.O.T." at the bottom.

A handwritten signature of "A.E." is placed over a circular stamp. The stamp contains the text "R.D. APPROVAL" at the top, "A.E." in the center, and "D.O.T." at the bottom.

प्रभागीय बन अधिकारी
पिथौरागढ़ बन प्रभाग
पिथौरागढ़

A handwritten signature is placed over a circular stamp. The stamp contains the text "R.D. APPROVAL" at the top, "A.E." in the center, and "D.O.T." at the bottom.

परियोजना का नाम :-	जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चौबाटी से बरम बचकुड़ी मोटर मार्ग, (9.070 कि०मी) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।
--------------------	--

Parameter for Evaluation of loss of Forests

Nature of Proposal - Road

Annexure-VI (B)

S.No.	Parameters	Roads Tr lines & Railway line
1	2	3
1	Loss of Value of timber, fuel wood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived livelihood and wage from the harvest of these commodities	Loss of total 392 no of trees costs Rs 878803.56 Misc. species which will be compensated by compensatory afforestation.
2	Loss of Animals husbandry productivity including loss of fodder	NIL
3	Cost of human resettlement	NIL
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project	NIL
5	Environmental losses; (Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance)	Through technical judgment would be primarily applied in determining the losses, as a thumb rule the environmental value of 1 hectare fully stocked (density 1.0) would be taken as Rs 126.74 lakhs to accrue a period of 50 years .The value will reduce with density, for example, if density is 0.4, the value will work out at Rs 50.696 lakhs. So if a project will requires deforestation of 1 hectares of forest of density 0.4 gives monetary return worth over Rs 50.696 lakhs over a period of 50 years, may be considered to give a positive cost benefit ratio. The figure of assumed environmental value will change if there is an increase in bank rate the change will be proportional to the percentage increase in the bank rate.
6	Suffering to ousters.	The social cost of rehabilitation of an ousters (in addition to the cost likely to be included in providing residence, occupation and social service) be worked out as 1.5 times of what he should earn in two years had he been not shifted.

$$\text{Total} = 8.79 + 126.74 \times 4 = \text{Rs } 59.486$$

कनिष्ठ अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०आई०य०- ॥, पी०ए०जी०ए०वाई०
डीडीहाट(पिथौरागढ़)

सहायक अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०आई०य०- ॥, पी०ए०जी०ए०वाई०
डीडीहाट(पिथौरागढ़)

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०आई०य०- ॥, पी०ए०जी०ए०वाई०
डीडीहाट(पिथौरागढ़)

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

A-1-11-3

प्रारूप-29.2

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests

Sl.No.	Parameters	Details
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	Vegitable and Fruits=150Qtl @ 1500/- =225000.00
2	Benefits to economy	About Rs 1.50 Loakh due to Milk prodution,Vegitable,Fruits,Torism and other mining mineral materials
3	No. of population benefited.	706
4	Employment potential.	About Rs240.00 Lakhs About Rs. 240.00 Lakh Labours component in project will give employmenent to local youth,their social,economic,cultural life structure will be benefited.
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	Nap Land 3.1882 Hect
6	Loss of (a) agricultural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.
	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	Kerosene Oil/Gas Connection service is available in the area/dry fuel wood will be sufficient from nearby Nigam Depot during construction.

Amit
Jt.

Dikshat

अमित जीवियता
पी.एस.यू.एस.एस. वाई.
डिक्षित (जिल्हापाल)

प्रभागीय कर्मकार
नियंत्रण बोर्ड
प्रधानमंत्री

प्रभागीय कर्मकार
नियंत्रण बोर्ड
प्रधानमंत्री

परियोजना का नाम : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग (9.070 किमी) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एनोपीओवी० की धनराशि का आंकलन


प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28-03-2008 एवं दि० 09-05-2008 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एनोपीओवी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी	V.I
2. हरियाली का घनत्व	:- 0.4
3. एनोपीओवी० की दर प्रति हेठो	:- ८९७५००/-
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	:- 5.409 हेठो
5. कुल देय एनोपीओवी० की धनराशि	:- ४८५१८७३

हेठो/-

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
पिंगोरागढ़ वन विभाग
सिवापुरम्



नोट:- जन का नाम

— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चौबाटी-बरमबचकुड़ी मोटा
मार्ग, (9.070 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि 9.00 मी० चौड़ाई में प्रत्यावर्तित किये जाने का प्रस्ताव
कैया किया गया है। पूर्व में पातन होने वाले वृक्षों की गणना 7.00 मी० चौड़ाई में ही की गयी थी। जिसकी
बूची पूरी में हो प्रत्युत कर दी गयी है। वर्तमान में 2.00 मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणना कर सूची संगलन कर
प्रेषित की जा रही है। आवेदित 2.00 मी० चौड़ाई के लिए वन पंचायत भूमि पर 117 वृक्ष पड़ रहे हैं, जिनकी
प्रजातियाँ व्यासतार सूची संलग्न हैं।

प्रश्ननाम परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 19.06.2015 को संयुक्त निरीक्षण में प्रस्तावित
विभाग की ओर से अपर सहायक अभियन्ता, श्री प्रदीप कुमार उपाध्याय, वन विभाग की ओर से वन दरोगा
डीडीहाट, श्री मनोज कुमार तिवारी, एवं वनरक्षक श्री मोहन सिंह राठौर, उपरिथिति रहे। उक्त दिनांक को
2.00 मी० चौड़ाई में आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :—

परियोजना के निर्माण में 9.00 मी० चौड़ाई में पड़ने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र० सं०	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग (सेमी० में)										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आवश्यक वन भूमि	शून्य										
2	सिविल सेगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	वन पंचायत	15	88	188	95	66	33	16	08	0	0	509
4	धोगे	15	88	188	95	66	33	16	08	0	0	509
	नाप भूमि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


नोट:- 1— वर्तमान में 2.00 मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणना कर सूची संगलन कर प्रेषित की जा रही है।


2— परियोजना के निर्माण में 9.00 मी० चौड़ाई के लिए समिलित कुल 509 वृक्षों में से 7.00 मी०
चौड़ाई में वास्तविक रूप से केवल 392 वृक्षों का पातन किया जाना है।



वन दरोगा
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

अपर सहायक अभियन्ता,
ग्रामनिवारी,
पी०एम०जी०एस०वाई०,
डीडीहाट।


सहायक अभियन्ता,
ग्रामनिवारी,
पी०एम०जी०एस०वाई०,
डीडीहाट।


अधिकारी अभियन्ता,
ग्रामनिवारी
पी०एम०जी०एस०वाई०,
डीडीहाट।


वन क्षेत्राधिकारी,
डीडीहाट (पिथौरागढ़)


वन क्षेत्राधिकारी
निवास विभाग
प्रशासनिक समिति

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग से ० मी० में (गोलाई)										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90+	
4	बुरांग खंडपुर	चीड़ Pinus roxburghii Sargt	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	02
		बॉज़ Quercus leucotrichophora	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	04
		बुरांश	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	04
		उत्तीस	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	02
		काफ़ल	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	02
5	बुरांग खंडपुर	फल्याट	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	03
		चीड़ Pinus roxburghii Sargt	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	04
		बॉज़ Quercus leucotrichophora	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	06
		फल्याट	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	04
		उत्तीस	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	04
		काफ़ल	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	02
		अयौर	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	06
योग:-			15	3	15	23	32	20	8	1	0	0	117

कर्म दर्शना
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

अपर सहायक अभियन्ता,
ग्रामनिविरो,
पी०एम०जी०एस०वाई०,
डीडीहाट।

सहायक अभियन्ता,
ग्रामनिविरो,
पी०एम०जी०एस०वाई०,
डीडीहाट।

अधिकारी अभियन्ता,
ग्रामनिविरो,
पी०एम०जी०एस०वाई०,
डीडीहाट।

यन क्षेत्राधिकारी,
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

प्रभारी प्राप्ति
पिथौरागढ़ बजार नगर
पालिका

Form-1
(For Linear Projects)
Government of Uttrakhand
Office of the District collector Pithoragarh

No.....

Date- 09/04/15

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forest (MoEF) Government of India letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest dwellers (recognition of forest rights) act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that 3.492 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Gram Vikash Department ,Govt. of UK for the construction of Motor Road From Chaubati to Barambachkudi in Pithoragarh district falls within jurisdiction of Barambachkudi villages in Didihat Tehsil.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.492 hectares of forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s) Gram Sabha(s) sub-division level committee(s) and the district level committee are enclosed as annexure 30.1 to 30.4 annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl: As above.

Dated. 09/04/15

Signature

District collector
Pithoragarh
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़